| Serial Number and date of order. | Order and signature of officer | Note or action taken on order with date |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |



जमाबंदी सुधार वाद 89/2018

**आदेश**

प्रस्तुत जमाबंदी सुधार वाद आवेदक प्रथम पक्ष हरेराम पंडित पे0 लक्ष्मी पंडित सा0 झाड़ा, थाना– महिषी, जिला– सहरसा के द्वारा अंचल अधिकारी, महिषी द्वारा गौड़ी कामत पे0 स्व0 गंगा कामत वगैरह के नाम सृजित जमाबंदी में सुधार हेतु इस न्यायालय में दायर किया गया है। प्रश्नगत जमीन का विवरण निम्न प्रकार है–

| मौजा | थाना नं0 | खाता | खेसरा | रकवा |
|---|---|---|---|---|
| सिसौना | 122 | 5(पु0) 43(न0) | 1012(पु0),1013(पु0), 1014(पु0),1015(पु0), 873(न0) | 36.83 डिसमल |

आवेदक प्रथम पक्ष का कथन है कि प्रश्नगत जमीन प्रतिपक्षी से गौरी कामत से खरीद किये, जिस पर हकदार वो दखलकार होकर रहते चले आ रहे हैं। इनका कथन है कि वादी के विक्रेता गौरी कामत के पिता श्री गंगा कामत पिता स्व0 सत्तन कामत से निबंधित केवाला दि0 20.08.1990 को गंगा प्रसाद उर्फ गंगा सिंह पिता स्व0 चीनी सिंह उर्फ चोली सिंह से प्रश्नांकित एराजी खाता नया 43 खेसरा नया 873 रकवा 5–0–0 खरीद किये थे। जिसका जमाबंदी नं0 43 है जो गंगा सिंह पिता चोली सिंह के नाम से चल रही है जो वादी के विक्रेता के भेन्डर है। साथ ही कथन है कि गंगा प्रसाद पिता स्व0 चीनी सिंह वो गंगा सिंह पिता स्व0 चोली सिंह एक ही व्यक्ति हैं।

आवेदक का आगे कथन है कि उक्त एराजी जमाबंदी नंबर 43 जो गंगा सिंह पिता चोली सिंह के नाम से चलती है से खारिज होकर वादी के नाम से दर्ज होना जरूरी है। वाद में वर्णित जमीन वादी को निबंधित केवाला से हासिल है। आवेदक ने अपने आवेदन के साथ जमाबंदी पंजी की छायाप्रति अथवा लगान रसीद अथवा निम्न न्यायालय के आदेश की प्रति दाखिल नहीं की है।

वादी के अधिवक्ता को सुनने तथा प्राप्त आवेदन के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि प्रश्नगत मामला पूर्णतः जमाबंदी सृजन का है। अतः आवेदक को सुझाव दिया जाता है कि वे बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम अंतर्गत विधिवत जमाबंदी सृजन हेतु आवेदन दायर करें, जिसे अंचलाधिकारी नियमानुसार कागजात एवं दखल–कब्जा देखते हुए निष्पादित करेंगे।

पक्षकार अपना–अपना खर्च स्वयं वहन करेंगे।

लेखापित एवं शुद्धिकृत।

अपर समाहर्ता,
सहरसा

24/6/19

अपर समाहर्ता,
सहरसा